


बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

अधिसूचना

पटना-15, दिनांक : 11 सितम्बर, 2016

संख्या-1/सी0-1021/2016-सा0प्र0-12401/ श्री व्यास जी, भा0प्र0से0 (82), प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना (अतिरिक्त प्रभार-निदेशक वकबंदी, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना) द्वारा दिनांक 12.09.2016 के प्रभाव से र्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ग्रहण किये जाने हेतु समर्पित आवेदन के आलोक में प्रासंगिक प्रयोजन से तीन माह पूर्व सूचना दिये जाने के प्रावधान को क्क्षात करते हुए वैयक्तिक कारणों से अखिल भारतीय सेवार्ये (मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति लाभ) नियमावली, 1958 के नियम-16(2) के प्रावधानों के तहत दिनांक-12.09.2016 के प्रभाव से भारतीय प्रशासनिक सेवा से र्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की स्वीकृति उन्हें प्रदान की जाती है।


बिहार राज्यपाल के आदेश से


(कन्हैया लाल साह)

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक:-1/सी0-1021/2016-सा0प्र0-12401 /पटना-15, दिनांक: 11 सितम्बर, 2016

प्रतिलिपि:- प्रभारी पदाधिकारी, ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र में प्रकाशनार्थ प्रेषित(द्वारा-आई0 टी0 मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग)/ सचिव, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली/कैरिगर मैनेजमेंट डिविजन, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली/स्थानिक आयुक्त, बिहार भवन, कौटिल्य मार्ग, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली/महालेखाकार, बिहार, पटना/राज्यपाल, बिहार के प्रधान सचिव, पटना/विकास आयुक्त, बिहार, पटना /मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार पटना/मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, बिहार, पटना /मुख्य सचिव, बिहार के गोपनीय कोषांग, कम्प्यूटर सेल/संबंधित विभाग/संबंधित पदाधिकारी/अवर सचिव (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग), वित्त विभाग, बिहार, पटना/ गू संपदा पदाधिकारी, भवन निर्माण एवं आवास विभाग, बिहार, पटना/आई0टी0 मैनेजर सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना(विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने एवं वित्त विभाग को सी0डी0 के साथ उपलब्ध कराने हेतु)/सामान्य प्रशासन विभाग के प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-1 एवं 6 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


(कन्हैया लाल साह)

सरकार के अवर सचिव।